

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 1975/पौष 16, 1896

No. 10]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 1975/PAUSA 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th January 1975

S.O. 16(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/GOA/64(1), dated the 19th May, 1965, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Goa, Daman and Diu, the Collector of Goa, Panaji, to be the Returning Officer for each of the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Goa, Daman and Diu, as determined by the Delimitation Commission in its Notification No. 282/GD/74, dated the 15th April, 1974.

[No. 434/GOA/74]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1975

क्र० प्रा० 16(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और इस आयोग की अधिसूचना सं० 434/गोवा/64(1) तारीख 19 मई, 1965 को अतिष्ठित करते हुए, निर्वाचन आयोग, गोवा, दमण और दीव नरकार के परामर्श से कलक्टर

गोवा, पणजी को, परिसीमन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 282/गोवा/74, तारीख 15 अप्रैल, 1974 द्वारा यथा अवधारित गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के हरेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 434/गोवा/74]

S.O. 17(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/GOA/70(2), dated the 22nd January, 1971, as amended from time to time, the Election Commission hereby appoints each of the Officers of Government, as specified in column 2 of the Table below, as Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the Union Territory of Goa, Daman and Diu as determined by the Delimitation Commission in its Notification No. 282/GD/74, dated the 15th April, 1974, and specified in column 1 of the said table against such Officer, in the performance of the functions of such Returning Officer:—

TABLE

Returning officer of the Constituency	Assistant Returning Officer/Officers
1. Returning Officer of 1-Panaji Parliamentary Constituency.	1. Deputy Collector, North Division, Panaji. 2. Civil Administrator, Diu. 3. Mamlatdar-cum-Personnel. Assistant to Collector, Daman.
2. Returning Officer of 2-Marmugao Parliamentary Constituency.	Deputy Collector, South Division, Margao.

[No. 434/GOA/74(1)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

का० प्रा० 17 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 434/गोवा/70(2) तारीख 22 जनवरी, 1971 को अतिष्ठित करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक सरकारी आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट तथा परिसीमन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 282/गोवा/74 तारीख 15 अप्रैल, 1974 द्वारा यथा अवधारित गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2
1-पाणाजी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1- उप-कलक्टर, उत्तर डिवीजन, पाणाजी । 2- सिविल प्रशासक, दीव । 3-मामलातदार-एवं-कलक्टर का व्यक्तिगत सहायक, दमण ।
2-मारमागोआ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	उप-कलक्टर, दक्षिण डिवीजन, मारमागोआ ।

[सं० 434/गोवा/74(1)]

आदेश से,

बी० नागसुब्रह्मण्यन, सचिव, ।

